माननीय रेवन्यू बोर्ड अध्यक्ष महोदय म0 प्र0 ग्वालियर

आम जनता नागौद की ओर से बृज मोहन लाल ढारिया तनय राम प्रसाद - ढारिया भूत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नागौद सा0 नागौद, तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0 ---------- निगराकार

R - 1029 - III / 2000

बनाम

1. सुरेश कुमार अग्रवाल तनय राम बिशाल अग्रवाल सा0 नागौद, मुतियारआम शेष निगरानीकारगण का
2. श्रीमती चमेली देवी वेवा पत्नी राम बिशालअग्रवाल सा0 नागौद
3. धन्य कुमार अग्रवाल ॥
4. 6 शुशील कुमार अग्रवाल ॥ पिसरान स्व. राम कुमार अग्रवाल सा0 नागौद
5. हरीश कुमार अग्रवाल ॥
6. श्रीमती दुरजी बाई वेवा पत्नी राम कुमार अग्रवाल सा0 नागौद तहसील नागौद जिला सतना म0 प्र0 --------- गैरनिगराकार गण

तृतीय निगरानी बिरुद्ध आदेश दिनांक 10-3-2000 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के निगरानी प्रकरण क्रं. निगरानी 17/अ25/निग0/99-2000 में पारित आदेश की निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं. 1959 ।

OFFICE OF THE COLLECTOR DISTRICT SATNA (M.P.) 4 JUN 2000

मान्यवर,

निगरानी प्रस्तुत कर निगराकार निम्ननुसार बिनयी है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10-3-2000 को पारित हुआ था, जिसकी सूचना रीवा कोर्ट के अभिभाषक ने सतना के वकील को लिखित सूचना दिनांक 14-3-2000 को भेजा था, जिसकी जानकारी - निगराकार को न्यायालय के आदेश की जानकारी मुझ निगराकार को दिनांक 27-3-2000 को सूचना सतना वकील से प्राप्त हुयी थी, और नकल आवेदन-पत्र दिनांक 28-3-2000 को जिससे दिया गया था, और नकल प्राप्ति प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28-3-2000 को हुयी थी, जिसकी निगरानी आज दिनांक को श्री मान् के न्यायालय में की जा रही है ।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार के अभिभाषक रीवा वाले को सुने बगैर ही प्रकरण में एक पक्षीय रूप से मनमानी आदेश पारित कर, कानून की मन्शा के बिपरीत, रिकार्ड से परे, रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजो-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -1029-तीन/2000 **जिला सतना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश आमजनता नागौद / सुरेश कुमार अग्रवाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12 –01–2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता लगातार निगरानी प्रस्तुत करने के समय वर्ष 2000 से ही अनुपस्थित है, जिन्हें न्यायालय द्वारा कई सूचना पत्र भी भेजे गये है। अनावेदक अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित होकर यह आपत्ति की गयी है कि प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता प्रारंभ से ही अनुपस्थित हैं जिससे अनावेदक अनावश्यक रूप से परेशान हो रहा है। प्रकरण में व्याप्त परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है यदि आवेदक को रूचि होती तो प्रकरण प्रस्तुत करने के दिनांक से आज दिनांक तक प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी लेने अवश्यक न्यायालय में उपस्थित होते, जिसका अभाव प्रकरण में प्रथमदृष्टया ही परिलक्षित हो रहा है। अतः प्रकरण आवेदक की लगातार अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनकी प्रकरण को चलाने में रूचि न होने की स्थिति में प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	